कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव जिला–कोण्डागांव छ0ग0

//ज्ञापन//

क्रमांक– 85 /दो–12–07/2022, कोण्डागांव, दिनांक– 30.06.2022

प्रति,

प्रभारी अधिकारी
कम्प्यूटराईजेशन अनुभाग
जिला न्यायालय कोण्डागांव,
जिला–कोण्डागांव छ0ग0

विषयः– सिविल जिला कोण्डागांव में आकस्मिकता निधि के 12 रिक्त पदों (04 चौकीदार, 04 वाटरमेन एवं 04 स्वीपर) की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन को वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत सिविल जिला कोण्डागांव में आकस्मिकता निधि के 12 रिक्त पदों (04 चौकीदार, 04 वाटरमेन एवं 04 स्वीपर) की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 83/दो–12–06/2014 कोण्डागांव दिनांक 29.06.2022 आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

कृपया जारी विज्ञापन क्रमांक 83/दो–12–06/2014 कोण्डागांव दिनांक 29.06.2022 को जिला न्यायालय कोण्डागांव की शासकीय वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– विज्ञापन।

अध्यक्ष (ADJ FTSC (POCSO))
चयन समिति
कोण्डागांव

:: कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव छ०ग० ::

/ /विज्ञापन/ /

क्रमांक 83 / दो–12–06 / 2014 कोण्डागांव दिनांक 29 06.2022

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि.30.07.2022 के कार्यालयीन समय तक

इस स्थापना में आकस्मिकता निधि के 04 चौकीदार, 04 वाटरमेन एवं 04 स्वीपर के कुल कूल 12 रिक्त पदों पर भर्ती के लिये पूर्व में इस कार्यालय के संशोधित विज्ञापन क्रमांक / 2020 दिनांक 19.05.2020 के द्वारा अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.06.2020 के साथ जारी विज्ञापन एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है। उक्त पदों हेतु नवीन विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।

रिक्त पदों का विवरण, योग्यता एवं अन्य शर्ते निम्नानुसार हैः–

01. चौकीदार 04 पद

02. वाटरमेन 04 पद

03. स्वीपर 04 पद

उक्त पद हेतु मानदेय कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा।

अनुमोदित
29.06.2022

योग्यता –

01. न्यूनतम पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण।

02. दिनांक 01.01.2022 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ 03–02 / 2015 / 1–03, नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासीयों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छुट केलेण्डर वर्ष 01.01.2019 से 31.12.2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है।

03. आवेदक बस्तर संभाग का स्थानीय निवासी हो।

04. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं दिव्यांगों को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष।

(ii) महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष।

(iii) दिव्यांगों हेतु 10 वर्ष।

(iv) स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

शर्तें –

01. यह कि आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

02. यह कि आवेदक का एक से अधिक पति/पत्नि न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे।

03. यह कि आवेदक किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

04. यह कि आवेदक किसी नैतिक दृष्टता हेतु अपराधी ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो।

05. यह कि आवेदक आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता/करती हो।

06. यह कि आवेदक टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (यथा–जन्म/आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 5 वीं की अंकसूची), जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद "आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले पद (पदनाम) .... के पद हेतु आवेदन पत्र" लिखा हो तथा लिफाफे के बांई ओर विज्ञापन कमांक तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

07. यह कि विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं। आवेदक 01 से अधिक पद के लिये आवेदन न करें।

08. यह कि बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि पूर्ण होने के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र भी निरस्त माने जावेंगे एवं इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा।

09. यह कि आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रकिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। आवेदक के नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

10. यह कि नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वे किसी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों की छंटाई (Short Listing) के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये आवेदन/आवेदनों को निरस्त कर सकेगा।

11. यह कि नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी/चयन समिति द्वारा सम्पन्न की जावेगी। इस कमेटी/चयन समिति को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव का निर्णय अंतिम होगा। उपयुक्त आवेदकों की छंटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5 वीं की परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छंटाई (Short Listing) की जा सकेगी।

12. यह कि किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

13. यह कि साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापित नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

14. यह कि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

15. यह कि विज्ञापन बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगी।

16. यह कि प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदन को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नही होगा।

17. यह कि जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

18. यह कि आवेदनों की छंटाई (Short Listing) पश्चात् पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची जिला न्यायालय कोण्डागांव के वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा। जिसमें आवेदकों का नाम, पिता/पति का नाम, पता साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी।

19. यह कि चयन परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

20. यह कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के अन्तर्गत उनकी शारीरिक क्षमता, सौंपे गये कार्यों को करने की समझ, बागवानी, साफ–सफाई, घरेलू कार्य इत्यादि बातों को करने की योग्यता के संबंध में परखा जावेगा।

21. यह कि नियुक्ति के बाद कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को कार्यालय के सफाई, बागवानी, शौचालय की साफ–सफाई, घरेलू कार्य हेतु किसी भी अभ्यर्थी की ड्यूटी लगाई जा सकती है।

टीपः– अन्य योग्यता एवं अनुभवन– वाहन चालक/इलेक्ट्रीशियन/ प्लम्बर/कारपेंटर कार्य से संबंधित अनुभव रखते हों तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

अन्य शर्तें –

01. किसी आवेदक का द्वारा मिथ्या जानकारी देना पाये जाने पर उसे साक्षात्कार के लिये अपात्र घोषित किया जावेगा।

02. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कहीं भी पदस्थ किया जा सकता है।

03. बस्तर संभाग के बाहर के अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

04. अभ्यर्थी आवेदन के साथ 10/– डाक टिकट लगा 02 कोरा लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा हो आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।

उक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार दिनांक .30.07.2022. के कार्यालयीन समय तक अपने प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति के साथ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। भर्ती में कार्यालय प्रमुख का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। भर्ती से संबंधित विज्ञापन एवं नियम व शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव के कार्यालय वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/kondagaon पर भी देखा जा सकता है।

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले पद चौकीदार/वाटरमेन/स्वीपर के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव छ0ग0।

01. आवेदित पद का नाम : ....

02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....

....

03. लिंग (महिला/पुरूष) : ....

04. पिता/पति का नाम : ....

05. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....

: ....

(ब) स्थायी पता : ....

: ....

06. (अ) जन्म तिथि अंकों में : ....

शब्दों में : ....

(ब) दिनांक 01.01.2022 को आयु .... वर्ष ....माह ....दिन

07. क्या आवेदक बस्तर संभाग : ....

का मूल निवासी है? हां/नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

08. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिए घोषित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का सदस्य है? हां/नहीं : ....

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

09. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें : ....

10. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं : ....

(यदि हां तो विकलांगता संबंधी ज़िला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रति संलग्न करें)

11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत : ....

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं : ....

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (यदि हो तो) : ....

14. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

15. क्या आप विवाहित हैं ? हां/नहीं : ....

16. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि : ....

17. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक

1	2	3	4	5	6

18. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय : ....

संस्था में सेवारत हैं? हां/नहीं

(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

19. आवेदक का मोबाईल नं./ई–मेल आई0डी0

(यदि हो तो) मो0नं0 .... ई–मेल आई0डी0..

20. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

//घोषणा पत्र//

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :

29.6.22

अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या–जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोण्डागांव